/

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा / सामान्य / 2018 / 18874-94 जयपुर, दिनांक 19.11.2018

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सैन्सिग से प्राप्त सूचनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ सम्वत् 2075 में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर सूखा संहिता एवं जिला कलक्टरों से प्राप्त जमीनी आंकलन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 9 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगेः—

क्र.सं.	जिला	तहसील	गम्भीर सूखाग्रस्त गांवों की संख्या	मध्यम सूखाग्रस्त गांवों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या
1.	बाड़मेर	14	2694	47	2741
2.	बीकानेर	8	133	56	189
3.	जैसलमेर	4	786	20	806
4.	जालोर	9	595	85	680
5.	जोधपुर	11	483	71	554
6.	हनुमानगढ़	2	169	2	171
7.	पाली	1	3	77	80
8.	चूरू	6	104	59	163
9.	नागौर	4	137	34	171
	कुल योगः—	**58**	**5104**	**451**	**5555**

राज्यपाल की आज्ञा से,

19/11/18

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ठ सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. संम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, राज.।
15. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू, नागौर, राजस्थान।
16. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

उप शासन सचिव